न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 110/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) डेगाना		1. लच्छुड़ी पत्नि जीवणराम भांबी (फौत) के कायम मुकामान– 1/1 चेलाराम पुत्र जीवणराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सथानी मु0पो0 सथाना कलां तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं (एकतरफा)

निर्णय दिनांक : 03-09-2019

प्रार्थी तहसीलदार डेगाना ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर कलक्टर नागौर ने उक्त प्रकरण उनके न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना अवगत कराते हुऐ उक्त प्रकरण पत्रांक–एडीएम/कोर्ट/726 दिनांक 24.07.2014 के द्वारा इस न्यायालय को भिजवाये जाने पर यह प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी दिनांक 20.05.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुआ तत्पश्चात दिनांक 20.06.2019 को अप्रार्थी की ओर से वकील श्रीमती अर्चना पारीक ने वकालतनामा पेश किया। तारीख पेशी दिनांक 8.8.2019 को अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा की एकतरफा बहस सुनी। राजपैरोकार ने प्रकरण में अंतिम बहस सुने जाने से पूर्व प्रकरण में तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 01.03.2012 के बिन्दु संख्या–1 में आवंटी के नाम में संशोधन के संबंध में बहस सुनी जाने का निवेदन किया, जिस पर उक्त बिन्दु पर राजपैरोकार की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि मौजा सथानी के खसरा नम्बर 89 रकबा 9–11 बीघा भूमि अप्रार्थी लच्छुड़ी पत्नी जीवणराम कौम भांबी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् दिनांक 03.12.78 को आंवटन हुई थी, परन्तु तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 01.03.2012 में अंकित बिन्दु संख्या 1 में उक्त आवंटन अप्रार्थी लच्छुडी जो फौत हो चुकी है के पुत्र चेलाराम का नाम सहवन से अंकित कर दिया, जो ग्राम संथानी तहसील डेगाना के नामान्तकरण संख्या 220 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रति से तथा जमाबन्दी संख्या 216 नई, 214 पुरानी ग्राम सथानी तहसील डेगाना संवत 2058 से 2061 से भी साबित है कि उक्त आवंटन लच्छुड़ी को किया गया था, क्योकि उक्त जमाबन्दी के अनुसार खसरा संख्या 89 के रकबा 9.11 बीघा लच्छुड़ी पत्नी जीवनराम कौम भाम्बी सा0 देह का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। इसलिए तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 01.03.2012 के बिन्दु संख्या–1 में चेलाराम पुत्र जीवणराम के स्थान पर सही आवंटी लच्छुड़ी पत्नी जीवनराम कौम भाम्बी पढ़ा जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। राजपैरोकार द्वारा उपरोक्तानुसार किया गया कथन उचित है। अतः तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 01.03.2012 के बिन्दु संख्या–1 में चेलाराम पुत्र जीवणराम के स्थान पर लच्छुड़ी पत्नी जीवनराम कौम भाम्बी पढ़ा जाकर निर्णय किया जाना उचित है। अतः तद्नुसार अनुमति के साथ राजपैरोकार की प्रार्थी की ओर से बहस अंतिम सुनी गई।

राजपैरोकार ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि मौजा सथानी के खसरा नम्बर 89 रकबा 9–11 बीघा भूमि अप्रार्थी लच्छुड़ी पत्नी जीवणराम कौम भांबी को राजस्थान भू–राजस्व

कलक्टर, नागौर

अधिनियम 1970 के तहत् दिनांक 03.12.78 को आंवटन हुई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 220 ग्राम सथानी भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। अप्रार्थी को उक्त भूमि वर्ष 3.12.78 में आंवटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो खसरा गिरदावरी संवत् 2066–2067 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि काबिल काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पड़त के रूप में है, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है, जो पटवारी हल्का सथानाकलां की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.09.2011 से सुस्पष्ट होने का कथन करते हुऐ अप्रार्थी लच्छुड़ी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मौजा सथानी के खसरा नम्बर 89 रकबा 9–11 बीघा भूमि अप्रार्थी लच्छुड़ी पत्नी जीवणराम कौम भांबी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 220 ग्राम सथानी भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम सथानी के नामान्तरकरण संख्या–220 व जमाबन्दी संख्या 216 नई, 214 पुरानी ग्राम सथानी तहसील डेगाना संवत 2058 से 2061 से भी साबित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 01.03.2012 के अनुसार अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन 03.12.78 को किया गया है। पटवारी सथाना कलां की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.09.2011 के अनुसार मौके पर आवंटी कब्जा काश्त नहीं है। खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम सथाना कंला तहसील डेगाना संवत 2066 व 2067 के अनुसार वादग्रस्त खसरा की भूमि के संबंध में गिरदावरी में न जोते गये क्षैत्रफल का ब्यौरा में प0ज0 9–11 अंकित किया गया है। इस प्रकार पटवारी फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है एवं खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) के अनुसार भी आवंटी की काश्त दर्ज नहीं है, जो आवंटन आदेश की शर्तो का उल्लघंन होने से अप्रार्थी लच्छुड़ी को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला आवेदन स्वीकार किया जाता है। ग्राम सथाना में अप्रार्थी लच्छुड़ी के नाम पर खसरा नम्बर 89 रकबा 9–11 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन दिनांक 03.12.78 को निरस्त किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर सरकारी तहवील में लिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार डेगाना व रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:31:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: